मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 03/05-06/2017, दिनांक 24.02.2018

राज्य सेवा परीक्षा 2018 / राज्य वन सेवा परीक्षा 2018

प्रारम्भिक परीक्षा की प्रावधिक प्रादर्श उत्तर कुंजी के संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति आमंत्रण

01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा -2018 तथा राज्य वन सेवा परीक्षा -2018 हेतु विज्ञापन क्रमांक 05/2017 तथा 06/2017, दिनांक 12.12.2017 प्रकाशित किए गए है। उक्त विज्ञापन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.12.2016 के अंक में प्रकाशित किए गए है। उक्त विज्ञापन के अधीन दिनांक 18.02.2018 को राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की गयी है। प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों प्रश्न-पत्रों की प्रावधिक प्रादर्श उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित की गयी है।

02 प्रावधिक प्रादर्श उत्तर कुंजी के संदर्भ में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। अभ्यर्थी www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए मॉड्यूल के माध्यम से दिनांक **24.02.2018** से **03.03.2018** तक ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। ऑफलाइन/ अन्य माध्यमों से प्राप्त आपत्तियां स्वीकार नहीं की जायेंगी।

03 **ऑनलाइन आपत्ति हेतु शुल्क विवरण** :- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति हेतु निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा:-

आपत्ति शुल्क	रुपये 100/- प्रति प्रश्न
पोर्टल शुल्क	रुपये 40/- प्रति सत्र

04 **आपत्ति शुल्क की वापसी:-**

1. अभ्यर्थियों के हित में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा जिन प्रश्नों के संदर्भ में प्रस्तुत आपत्ति विशेषज्ञ समिति द्वारा सही पायी जाती है उन प्रश्नों हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा आपत्ति शुल्क वापस की जाएगी। इस संदर्भ में ऑनलाइन आपत्ति मॉड्यूल में व्यवस्था की गयी है।
2. जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन करते समय बैंक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है उन्हें ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुत करते समय शुल्क वापसी हेतु अपने बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. विशेषज्ञ समिति के द्वारा जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को सही पाया जाएगा उन्हें संदर्भित प्रश्न हेतु जमा आपत्ति शुल्क की राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में **ई-भुगतान** द्वारा वापस की जाएगी।

05 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगीं।

सचिव